पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 07.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-"शिक्षा की रोशनी, सुरक्षा की शक्ति, मदेयगंज पुलिस के साथ मिशन शक्ति!"

थाना मदेयगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत त्रिवेणी पेट्रोल पम्प ढाल पर, मदेयगंज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला/बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करके यातायात एवं यूपी-कॉप के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

- म0हे0का0 पूनम सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आंचल सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आशा कुमारी, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा त्रिवेणी पेट्रोल पम्प ढाल पर कार्यक्रम आयोजित

प्रतिभाग-

- म0हे0का0 पूनम सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आंचल सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- म0आ0 आशा कुमारी, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा त्रिवेणी पेट्रोल पम्प ढाल पर महिला/बालिकाओं एवं पुलिस टीम की सक्रिय भागीदारी

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 07.05.2026 को त्रिवेणी पेट्रोल पम्प ढाल थाना मदेयगंज लखनऊ में थाना स्थानीय से मौजूद फोर्स द्वारा महिला/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए पुलिस हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1090,181,1076 एवं अन्य महत्वपूर्ण नंबरो के साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा केंद्र (वीमेन पावर लाइन), महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र व साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप, आदि के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई

तथा साइबर क्राइम से बचाव और सुरक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं(शिक्षा/ बैंक सुविधा/ विधवा पेंशन योजना व अन्य) के बारे में जरिए पेम्फलेट महिला सशक्तिकरण संबंधी जागरुकता अभियान चलाया गया।

मिशन शक्ति 5.0: एक संक्षिप्त विवरण

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

- महिलाओं एवं छात्राओं को यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), 181, 1098, 1076, 1930, 101, 102, 108 आदि की जानकारी प्रदान की गई।
- छात्राओं को शिक्षा के महत्व एवं उनके शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों, जैसे POCSO अधिनियम, के बारे में बताया गया।
- एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

निष्कर्ष

मिशन शक्ति 5.0 महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय और सतत प्रयास है। यह अभियान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का प्रयास है। महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और हेल्पलाइन सुविधाओं से अवगत कराकर यह अभियान उन्हें आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

मिशन शक्ति 5.0- सुरक्षा और जागरूकता ही है हमारी पहचान।

दिनांक- 07.05.2026

थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर मे स्थित नटखेड़ा रोड़ पर भ्रमणशील रहकर महिलाओं को किया गया जागरुक। महिलाओं एवं युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना **आलमबाग** क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

आयोजक टीम/आयोजन

- महिला कांस्टेबल आरती शाक्या, थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला कांस्टेबल दीप्ती कुशवाहा, थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला कांस्टेबल रागिनी प्रजापति, थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर मे स्थित नटखेड़ा रोड़ में

प्रतिभागी: -

- महिला कांस्टेबल अंजली सिंह, थाना आलमबाग, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला कांस्टेबल दीप्ती कुशवाहा, थाना आलमबाग,लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर मे स्थित नटखेड़ा रोड़ पर महिलाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, दिनांक 07.05.2026 को थाना आलमबाग क्षेत्रान्तर्गत चौकी क्षेत्र चन्दर नगर मे स्थित नटखेड़ा रोड़ पर भ्रमणशील रहकर महिलाओं तक सीधे संवाद स्थापित करके महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी जानकारियाँ प्रदान कीं, जिनमें सामान्य अपराधों एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, सी.ई.आई.आर. पोर्टल के उपयोग, यूपी कॉप ऐप की उपयोगिता तथा आपात स्थितियों के लिए essential हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवाएं), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन) की विस्तृत जानकारी शामिल थी।

साथ ही, महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में बताया गया, साइबर फ्रॉड से बचने के व्यावहारिक सुझाव साझा किए गए और बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण महिलाओं के साथ हुए इस सार्थक संवाद ने न केवल उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर व्यापक जानकारी से अवगत कराया, बल्कि पुलिस-जनता के बीच विश्वास और सहयोग के सेतु को भी मजबूत किया।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश

आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते खतरों को देखते हुए, इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के उपाय सिखाए गए। साथ ही, साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए **राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के बारे में विस्तार से बताया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

टीम ने थाना स्थानीय पर संचालित **महिला सुरक्षा केंद्र** एवं **महिला हेल्प डेस्क** के कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने हेतु प्रेरित किया।

निष्कर्ष एवं महत्व:

यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें पुलिस की सहायता तक आसान पहुँच प्रदान करने के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 07.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 07/05/2026 कपूरथला क्षेत्र थाना अलीगंज जनपद लखनऊ बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

- उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- मिशन शक्ति पुलिस टीम, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- मिशन शक्ति पुलिस टीम, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरुक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत दिनांक 07-05-2026 को अलीगंज के कपूरथला क्षेत्र में बच्चियों को उनकी सुरक्षा और अधिकारों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को तत्काल सहायता के लिए बने विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों - जैसे पुलिस हेल्पलाइन 112, महिला हेल्पलाइन 1090, वूमेन पावर लाइन 181, एवं साइबर की हेल्पलाइन 1930 से अवगत कराया।

आधुनिक दौर में बढ़ते खतरों को देखते हुए साइबर अपराधों से सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों जैसे पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, महिला सुरक्षा केंद्र, और महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी समझाईश दी गई। इसके अलावा, यूपी कॉप एप के उपयोग और साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके प्रति सजग, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था, साथ ही मिशन शक्ति के तहत चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-736

दिनांक-07.05.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- **थाना वजीरगंज पुलिस टीम की सफलता।**
- **मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की चैन छीनने वाले वाले अंतर्जनपदीय लूट/झपटमारी के 04 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से छीनी गयी 01 अदद पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त बरामद (02 अदद मोबाइल , 1 अदद मोटर साइकिल पल्सर व 1 अदद स्कूटी) बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.04.2026 को वादी मुकदमा गौरव अग्रवाल पुत्र श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल निवासी - 246/69ख निवासी टाटपट्टी कायस्थगली यहियागंज थाना चौक की तहरीरी सूचना पर-

1.मु0अ0सं0-98/2026 धारा-304 भारतीय न्या0 संहिता बनाम अज्ञात थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ,बावत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 28.04.2026 की देर रात्रि वादी मुकदमा रकाबगंज स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए थे इसी दौरान 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी चैन छीनकर मौके से भाग जाने के संबन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ ।

उपरोक्त घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी महोदय, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चौक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध के चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना वजीरगंज पुलिस व सर्विलांस पश्चिमी की टीम का गठन किय़ा गया था । जिनके द्वारा लगभग 400-500 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गई। तथा आज दिनांक 07.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर रेजिडेंसी के सामने से 04 शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जिनके कब्जे से 1 अदद छीनी गई पीली धातु की चैन व घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटर साइकिल पल्सर व 1 अदद स्कूटी बरादमगी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण लूट/झपटमारी करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, अभियुक्त हैदर अली, सारिक अली, मो0 साहिल व इमरान के विरुद्ध द्वारा जनपद लखनऊ व अन्य जनपद के थानों में लूट व अन्य कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियुक्तगण ने पूछताछ में मुकदमा उपरोक्त से संबधित छीनी गयी पीली धातु की चैन को छीनना स्वीकार किया, जिन्हें रेजीडेंसी के पास से गिरफ्तार किया गया और घटना से संबधित छीनी गयी पीली धातु के चैन को अभियुक्तो के कब्जे से बरामद किया गया घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व स्कूटी को भी बरामद किया गया । अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे सब अपनी शौक व अन्य खर्चों के लिए नशा करके घटना को अंजाम देते है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. हैदर अली पुत्र अल्ताफ उम्र करीब 22 वर्ष मूल निवासी इंदिरा चौक थाना मंडी जनपद सहारनपुर हाल पता निरालानगर खदरा बडी पकडिया हसनगंज थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ/सुकुर का खेत हैदरगंज थाना बाजार खाला लखनऊ
2. मो0 साहिल पुत्र स्व0 गुलाम हुसैन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मूल निवासी इंदिरा चौक थाना मंडी सहारनपुर हाल पता कैंपबैल रोड थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ अन्य हाल पता आरती नगर गढी कनौरा थाना आलमबाग लखनऊ
3. शारिक अली पुत्र गुलाम हुसैन उम्र करीब 27 वर्ष मूल निवासी इंदिरा चौक थाना मंडी सहारनपुर हाल पता बडी पकडिया खादर हसनगंज थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ/सुकुर का खेत हैदरगंज थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ
4. इमरान पुत्र स्व0 सलीम उम्र 32 वर्ष निवासी मूल पता इंदिरा चौक थाना मंडी सहारनपुर हाल पता न्यू बस्ती पिरान कलियर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार/सुकुर का खेत हैदरगंज थाना बाजार खाला जनपद लखनऊ।

04-आपराधिक इतिहास-

- *अभियुक्त हैदर अली के विरुद्ध कुल-03 अभियोग पंजीकृत हैं-*

1. मु0अ0सं0-938/22 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ।
2. मु0अ0सं0-053/22 धारा 34/392/411 आईपीसी थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-188/25 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।
4. मु0अ0सं0-098/26 धारा304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।

- *अभियुक्त साहिल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –*

1 मु0अ0सं0-937/22 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ।

2. मु0अ0सं0-188/25 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी।

3.मु0अ0सं0-098/26 धारा304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।

अभियुक्त सारिक के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

1 मु0अ0सं0-53/22 धारा 34/392/411 आईपीसी थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ।

2. मु0अ0सं0—54/22 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ।

3.मु0अ0सं0-098/26 धारा304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-98/2026 धारा 304 बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण -

1. 01 अदद पीला धातु की चैन बरामद।
2. 01 अदद पल्सर ब्लैक कलर रजि0 सं0 UP32JE6439 बरामद ।
3. 01 अदद TVS स्कूटी NTORQ 125 रजि0 नं0 UP32KX3578 बरामद ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

कोतवाली वजीरगंज पुलिस टीम	सर्विलांल टीम पश्चिमी
1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज 2. अति0 निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना वजीरगंज 3. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह (चौकी प्रभारी रिबरबैंक कालोनी) 4. उ0नि0 रंजीत पाठक (चौकी प्रभारी हाता) 5. उ0नि0 श्री अंशुमान कुमार (चौकी प्रभारी आगामीर डियोढ़ी) 6. उ0नि0 श्री रजत सिंह (चौकी प्रभारी पाण्डेयगंज) 7. उ0नि0 कपिल सिंह चौधरी (चौकी प्रभारी लारी) 8. उ0नि0 श्री शिवम मौर्या 9. का0 योगेश कुमार 10. का0 गुलशन कुमार 11. का0 संतोष 12. का0 दिलीप 13. का0 मो0 फहीम	1. उ0नि0 श्री रंजीत सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम पश्चिमी जोन 2. उ0नि0 आशीष बालियान 3. हे0 का0 मो0 अहमद 4. हे0 का0 वीर सिंह 5. हे0 का0 प्रदीप तिवारी 6. का0 आशीष कुमार कुशवाहा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 07.05.2026

थाना नगराम की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरो से किया जागरूक।

थाना नगराम की मिशन शक्ति टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगराम पर 'मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड जैसे मुद्दों पर विस्तृत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और महिला शक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना नगराम मिशन शक्ति टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत **सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगराम पर जाकर** महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- म0का0 प्रिया सिंह तोमर, थाना नगराम, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 स्वाती सिंह, थाना नगराम,लखनऊ कमिश्नरेट
- सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगराम थाना नगराम लखनऊ।

प्रतिभाग-

- म0का0 प्रिया सिंह तोमर, थाना नगराम, लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 स्वाती सिंह, थाना नगराम,लखनऊ कमिश्नरेट
- सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगराम थाना नगराम लखनऊ पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, आज दिनांक 07.05.2026 को थाना नगराम की मिशन शक्ति टीम द्वारा **सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र** पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों म0का0 प्रिया सिंह तोमर व म0का0 स्वाती सिंह व मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

पुलिस टीम द्वारा संवाद के दौरान महिलाओं को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों, जैसे 112 (आपातकालीन सेवा), 1090 (महिला पावर लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) एवं 181 (महिला हेल्पलाइन) के उपयोग और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और निडर बनने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल समाज में सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करने और पुलिस व जनता के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

आयोजित 'मिशन शक्ति फेज 0.5' जागरूकता कार्यक्रम एक अत्यंत सराहनीय और प्रभावी पहल थी। इस कार्यक्रम ने निम्नलिखित बिंदुओं में सफलता प्राप्त की:

1. साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और बैंक धोखाधड़ी जैसे वर्तमान समय के प्रासंगिक खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई गई।
2. केवल समस्याएं बताने के बजाय, उनसे बचने के लिए व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
3. 1090, 112, 1930, 1098 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और सेवाओं से अवगत कराकर छात्राओं को आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त करने का विश्वास दिलाया गया।
4. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की 'मिशन शक्ति' पहल के प्रमुख लक्ष्यों—विशेष रूप से महिला सुरक्षा, जागरूकता सृजन, साइबर सुरक्षा और सहायता तंत्र को मजबूत करने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ।
5. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।

यह जागरूकता सत्र न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित रहने का ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सशक्त भी बनाया। ऐसे प्रयास महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-735
दिनांक-07.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण।

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस/ सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही।
- युवक की हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार।
- बरामदगी आलाकत्ल 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व मृतक का 02 अदद मोबाइल फोन ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र विनेश यादव निवासी रेवतापुर सकूरपुर थाना पी0जी0आई, लखनऊ की तहरीरी सूचना दी जिसमें वादी के भाई सचिन यादव की हत्या करने व परिवार के सदस्यों की जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सु0गो0सिटी पर- मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 103(1)/3(5)/351(3) बीएनएस पंजीकृत है।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर 04 पुलिस टीमो का गठन कर उनके साथ सर्विलास सेल टीम को भी लगाया गया । घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम मामूर थी कि ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.05.2026 को मृतक सचिन यादव जिसकी डेड बाडी अवध बिहार योजना सेक्टर 08 में खाली मैदान में मिली थी उक्त घटना में संदिग्ध व्यक्ति कमल यादव व संतोष यादव मृतक के साथ दिनांक 03.05.2026 को दोपहर के समय मैदान के पीछे खाली एरिया मे शराब व मुर्गा की पार्टी करते हुए देखा गया था ।

तत्पश्चात टेक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के मिलने के संभावित स्थानो पर दबिश देकर अभियुक्तगण को सेक्टर 8 अवध विहार योजना से हिरासत में लिया गया जिनसे पूछतांछ करने पर अपना नाम 1. कमल सिंह यादव उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 सुनील सिंह यादव ग्राम देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष व 2. संतोष कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी ग्राम धावाहार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष बताया । पुलिस टीम द्वारा अभि0गणों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद अवैध तमंचा व मृतक का 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ ।

उपरोक्त प्रकाश में आये हुए अभियुक्तगण कमल सिंह यादव व संतोष कुमार यादव को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार बसेरा -2 (आला कत्ल बरामदगी स्थल) से गिरफ्तारी कर बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आमर्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जाऐगा ।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ करने पर अभियुक्त कमल नें बताया कि भट्ठा चौराहे पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान है जहाँ पर मेरे भाई का साला संतोष कुमार यादव (सह अभियुक्त) ने एक गुमटी में गुटखा सिगरेट पानी का दुकान खोल रखा था जिसको बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था तथा सचिन यादव द्वारा समान लेकर पैसे न देना व पैसा मांगने पर धमकाना व ग्राहको को भड़काकर उसके दुकान पर न जाने देना इन सारी बातो से मेरा रिस्तेदार संतोष कुमार यादव काफी परेशान हो गया था जिससे उसे अपनी गुमटी भी बन्द करनी पड़ी फिर मैने और संतोष कुमार यादव ने मिलकर प्लान बनाया कि उसको जान से मार दिया जाए जिससे कि सारी समास्याओ का समाधान हो जाए , फिर मैने और संतोष यादव

ने मिलकर दिनांक 03.05.2026 को अंग्रेजी ठेका के पीछे खाली स्थान पर मुर्गा व शराब की पार्टी रखा पार्टी में सचिन यादव को भी बुलाया और हम तीनो लोग वही पर मीट खाये और शराब पीये व साजिश के तहत सचिन को अधिक शराब पिला दिया जिससे वह काफी नशा में हो गया फिर मैने और संतोष यादव ने सचिन को साथ में लेकर अंग्रेजी शराब ठेका के सामने खाली मैदान सेक्टर 08 अवध विहार योजना में अधिक शराब पीने का बहाना करके लेकर चले गये उक्त स्थान पर डामर रोड के बगल में बैठकर फिर शराब पीने लगे उसके बाद मैने पेशाब करने के बहाने से उठ खड़ा हुआ और संतोष ने सचिन को पकड़ लिया और मैने तमंचे से सचिन के कनपट्टी पर गोली मार दिया और उसको मरा समझ कर वही छोड़कर उसका दोनो मोबाइल फोन लेकर वहाँ से भाग गये और हम दोनो ने तमंचा बसेरा 2 के सामने खाली मैदान में सूखी पत्तियो के नीचे छिपा दिया था व सचिन के दोनो मोबाइल को नाली में फेक दिया था उसके बाद मै व संतोष अपने अपने घर चले गये । उक्त बात को संतोष कुमार यादव द्वारा भी स्वाकीरते हुए दोनो माफी माँगने लगे ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कमल सिंह यादव उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 सुनील सिंह यादव ग्राम देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष (व्यवसाय – स्कूल बस ड्राइवर)
2. संतोष कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी ग्राम धावाहार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष (व्यवसाय – गुमटी में गुटखा सिगरेट पानी बेचता था)

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 103(1)/3(5)/351(3) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

05-बरामदगी-

- बरामदगी आलाकत्ल 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस
- मृतक सचिन यादव का 02 अदद मोबाइल फोन

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।
- सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-735

दिनांक-07.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण।

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस/ सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही।
- युवक की हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार।
- बरामदगी आलाकत्ल 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व मृतक का 02 अदद मोबाइल फोन ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र विनेश यादव निवासी रेवतापुर सकूरपुर थाना पी0जी0आई, लखनऊ की तहरीरी सूचना दी जिसमें वादी के भाई सचिन यादव की हत्या करने व परिवार के सदस्यों की जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सु0गो0सिटी पर- मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 103(1)/3(5)/351(3) बीएनएस पंजीकृत है।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर 04 पुलिस टीमो का गठन कर उनके साथ सर्विलास सेल टीम को भी लगाया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम मामूर थी कि ज्ञात हुआ कि दिनांक 05.05.2026 को मृतक सचिन यादव जिसकी डेड बाडी अवध बिहार योजना सेक्टर 08 में खाली मैदान में मिली थी उक्त घटना में संदिग्ध व्यक्ति कमल यादव व संतोष यादव मृतक के साथ दिनांक 03.05.2026 को दोपहर के समय मैदान के पीछे खाली एरिया मे शराब व मुर्गा की पार्टी करते हुए देखा गया था।

तत्पश्चात टेक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के मिलने के संभावित स्थानो पर दबिश देकर अभियुक्तगण को सेक्टर 8 अवध विहार योजना से हिरासत में लिया गया जिनसे पूछतांछ करने पर अपना नाम 1. कमल सिंह यादव उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 सुनील सिंह यादव ग्राम देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष व 2. संतोष कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी ग्राम धावाहार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष बताया। पुलिस टीम द्वारा अभि0गणों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद अवैध तमंचा व मृतक का 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ।

उपरोक्त प्रकाश में आये हुए अभियुक्तगण कमल सिंह यादव व संतोष कुमार यादव को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार बसेरा -2 (आला कत्ल बरामदगी स्थल) से गिरफ्तारी कर बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आमर्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जाऐगा।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

पूछताछ करने पर अभियुक्त कमल नें बताया कि भट्ठा चौराहे पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान है जहाँ पर मेरे भाई का साला संतोष कुमार यादव (सह अभियुक्त) ने एक गुमटी में गुटखा सिगरेट पानी का दुकान खोल रखा था जिसको बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था तथा सचिन यादव द्वारा समान लेकर पैसे न देना व पैसा मांगने पर धमकाना व ग्राहको को भड़काकर उसके दुकान पर न जाने देना इन सारी बातो से मेरा रिस्तेदार संतोष कुमार यादव काफी परेशान हो गया था जिससे उसे अपनी गुमटी भी बन्द करनी पड़ी फिर मैने और संतोष कुमार यादव ने मिलकर प्लान बनाया कि उसको जान से मार दिया जाए जिससे कि सारी समास्याओ का समाधान हो जाए , फिर मैने और संतोष यादव

ने मिलकर दिनांक 03.05.2026 को अंग्रेजी ठेका के पीछे खाली स्थान पर मुर्गा व शराब की पार्टी रखा पार्टी में सचिन यादव को भी बुलाया और हम तीनो लोग वही पर मीट खाये और शराब पीये व साजिश के तहत सचिन को अधिक शराब पिला दिया जिससे वह काफी नशा में हो गया फिर मैने और संतोष यादव ने सचिन को साथ में लेकर अंग्रेजी शराब ठेका के सामने खाली मैदान सेक्टर 08 अवध विहार योजना में अधिक शराब पीने का बहाना करके लेकर चले गये उक्त स्थान पर डामर रोड के बगल में बैठकर फिर शराब पीने लगे उसके बाद मैने पेशाब करने के बहाने से उठ खड़ा हुआ और संतोष ने सचिन को पकड़ लिया और मैने तमंचे से सचिन के कनपट्टी पर गोली मार दिया और उसको मरा समझ कर वही छोड़कर उसका दोनो मोबाइल फोन लेकर वहाँ से भाग गये और हम दोनो ने तमंचा बसेरा 2 के सामने खाली मैदान में सूखी पत्तियो के नीचे छिपा दिया था व सचिन के दोनो मोबाइल को नाली में फेक दिया था उसके बाद मै व संतोष अपने अपने घर चले गये। उक्त बात को संतोष कुमार यादव द्वारा भी स्वाकीरते हुए दोनो माफी माँगने लगे।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कमल सिंह यादव उर्फ टिंकू पुत्र स्व0 सुनील सिंह यादव ग्राम देवामऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष (व्यवसाय – स्कूल बस ड्राइवर)
2. संतोष कुमार यादव पुत्र नन्द किशोर यादव निवासी ग्राम धावाहार थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष (व्यवसाय – गुमटी में गुटखा सिगरेट पानी बेचता था)

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 0288/2026 धारा 103(1)/3(5)/351(3) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

05-बरामदगी-

- बरामदगी आलाकत्ल 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस
- मृतक सचिन यादव का 02 अदद मोबाइल फोन

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।
- सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-734
दिनांक-07.05.2026

लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु पीआरवी को किया गया रवाना

- मा० जनपद न्यायाधीश श्री मलखान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ
- राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु पीआरवी को किया गया रवाना
- लखनऊ पुलिस एवं DLSA द्वारा संयुक्त विधिक जागरूकता अभियान आयोजित
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चलाया जाएगा विशेष जनजागरूकता अभियान
- महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों को दी जाएगी नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी
- जनसंवाद, पंपलेट वितरण एवं उद्घोषणाओं के माध्यम से किया जाएगा जागरूक
- न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

लखनऊ | दिनांक : 07 मई 2026

जनसामान्य को राष्ट्रीय लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं न्यायिक सेवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज दिनांक 07 मई 2026 को जिला न्यायालय, लखनऊ परिसर में लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मलखान सिंह, मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की पीआरवी (Police Response Vehicles) को रवाना किया गया, जो शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आमजन को विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करेंगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी आमजन तक पहुंचाने की पहल

कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित, सरल एवं कम खर्च में निस्तारण किया जा सकता है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत की उपयोगिता एवं नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक करना है, ताकि आमजन आसानी से न्याय प्राप्त कर सकें।

इस दौरान नागरिकों को बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल संबंधी मामलों सहित अन्य प्रकरणों के समाधान हेतु लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान

फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम के उपरांत रवाना की गई पीआरवी टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ इलाकों में व्यापक विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा।

अभियान के दौरान पुलिस एवं डीएलएसए की संयुक्त टीमें घर-घर संपर्क, पंपलेट वितरण, जनसंवाद एवं सार्वजनिक उद्घोषणाओं के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में जागरूक करेंगी।

विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों एवं शासन द्वारा उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सरल एवं सुलभ न्याय व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सके।

न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास

लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह संयुक्त अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्यायिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन एवं न्यायिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचेगी विधिक जागरूकता

फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम के उपरांत रवाना की गई पीआरवी टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों, मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ इलाकों में व्यापक विधिक जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा।

अभियान के दौरान पुलिस एवं डीएलएसए की संयुक्त टीमें घर-घर संपर्क, पंपलेट वितरण, जनसंवाद एवं सार्वजनिक उद्घोषणाओं के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में जागरूक करेंगी।

न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की पहल

लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह संयुक्त प्रयास समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्यायिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभियान का उद्देश्य केवल कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि लोगों में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाना एवं उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी है।

गणमान्य अधिकारी रहें उपस्थित

इस अवसर पर श्री प्रकाश तिवारी, मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-7 एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, लखनऊ, श्री कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, सिविल जज (सी०डी०)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा किरन यादव, (IPS), नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं एडीसीपी (क्राइम), पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ सहित न्यायिक एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

"लोक अदालत के माध्यम से आमजन को त्वरित, सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। लखनऊ पुलिस का प्रयास है कि विधिक जागरूकता अभियान प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों तक पहुंचे, ताकि सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकें।"

—किरन यादव, IPS

नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं एडीसीपी (क्राइम)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

4853
पुलिस
UP32DG4853

प्रत्याशी
लखनऊ बार
112
पुलिस
7759

पुलिस
UP32DG7759

पुलिस
पुलिस

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-741

दिनांक-07.05.2026

जोन-उत्तरी/थाना - जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम पुलिस द्वारा CEIR Portal से Realme RMX3945 M0BILE PHONE फोन बरामद कर शिकायत कर्ता को सुपुर्द किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 01.05.2026 को थाना स्थानीय पर आगंतुका श्री लक्ष्मी पुत्री बाके लाल निवासी 60 फिटा रोड़ जानकीपुरम थाना जानकीपुरम लखनऊ द्वारा शिकायत किया गया कि मेरा फोन Realme RMX3945 M0BILE PHONE कहीं गिर गया है तत्काल उपरोक्त शिकायत पर यूपी कॉप के लास्ट आर्टिकल पर शिकायत दर्ज कर CEIR PORTAL पर ट्रेकिंग पर लगाया गया।

दिनांक 07.05.2026 को सीईआईआर के माध्यम से उपरोक्त फोन को बरामद कर शिकायत कर्ता लक्ष्मी उपरोक्त को सुपुर्द किया गया फोन पाकर शिकायत कर्ता नें लखनऊ पुलिस का बहुत- बहुत धन्यवाद दिया गया।

बरामदगी करने वाली टीम थाना जानकीपुरम लखनऊः-

1. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार तिवारी
2. म0का0 प्रियंका कुमारी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-737
दिनांक-07.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

➤ **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय कक्ष सं0 26 लखनऊ द्वारा निर्गत केस 2560/20 क्राइम न0 554/2019 , धारा 323/504/506 भादवि थाना गुडम्बा लखनऊ से सम्बन्धित दो नफर वारण्टी 1. सूरज पुत्र बालकराम निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 24 वर्ष, 2. सुनील रावत पुत्र बालक राम निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बालखनऊ उम्र 40 वर्ष को उसके अंकित पते से आज दिनांक 07.05.2026 को समय 01.00 बजे उ0नि0 श्री हरिओम पटेल मय हमराही पुलिस बल के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय -

वारण्टीगण मा0 न्यायालय द्वारा उपस्थित होने हेतु निर्गत आदेश की अवहेलना कर मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज पुत्र बालक राम निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 24 वर्ष
2. सुनील रावत पुत्र बालक राम निवासी ग्राम रजौली थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र 40 वर्ष

04-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

1.केस 2560/20 क्राइम न0 554/2019 , धारा 323/504/506 भादवि

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गुडम्बाः-

1. उ0नि0 श्री हरिओम पटेल
2. का0 सूरज कुमार
3. का0 दीपक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-740

दिनांक-07.05.2026

जोन-मध्य/थाना- हजरतगंज

- **फर्जी/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में पंजीकरण कराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

01-घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 29.11.2023 को वादी मुकदमा डा0 अखिलेश कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उप्र धन्वन्तरि भवन 7- लालबाग, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा लिखित तहरीरी सूचना बाबत फर्जी बीएएमएस अंकतालिकाओं, इण्टर्नशिप प्रमाण पत्र एवं डिग्री के आधार पर नामित आरोपीगण द्वारा विवेक गिरि पुत्र श्री नवजीवन गिरि जिला सीतापुर एवं राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रघुबर दयाल गुप्ता जिला बरेली द्वारा सुनियोजित षडयंत्र के तहत पंजीयन का प्रयास करने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2023 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम 01. विवेक गिरी पुत्र नवजीवन गिरी निवासी 308 जरीगवां अंशिक कोरावना जिला सीतापुर, 02. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रघुबर दयाल गुप्ता निवासी हर्तमान तिराहा आनन्द बिहार कालोनी जिला बरेली, 3. बइश्तवा दीपेश सक्सेना (कोषाध्यक्ष फार्मेसिस्ट सेवा संस्थान) पता 550/85 साकेतपुरी आलमबाग लखनऊ, 4. बइश्तवा श्री पकज मिश्रा (अध्यक्ष फार्मेसिस्ट सेवा संस्थान) पता 550/85 साकेतपुरी आलमबाग लखनऊ, 5. बइश्तवा अब्दुल रशीद पुत्र श्री अब्दुल कवी निवासी 09 प्रहलादपुर कमलनयन पुर कांट जिला शाहजहाँपुर, 6. बइश्तवा नरेश कुमार वर्मा पुत्र राकेश पाल सिंह निवासी जनपद एटा, 7. बइश्तवा अशोक कुमार पुत्र वेदराम निवासी निकट लालपुर जनपद बदायू के पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना श्री मधुकर सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

घटना के अनावरण हेतु थाना हजरतगंज की पुलिस टीम द्वारा नामित आरोपी **राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रघुवर दयाल गुप्ता निवासी म0न0 25, आनन्द बिहार कालोनी, हार्टमैन तिराहा थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र 51 वर्ष के पते पर जाकर वास्ते पूछताछ थाना हजरतगंज लाया गया, तथा बाद पूछताछ जुर्म के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर नामित आरोपी को** गिरफ्तार किया गया।

02-विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी

मु0अ0सं0 347/2023 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित नामित / वांछित अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी कर नामित अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रघुवर दयाल गुप्ता निवासी म0न0 25, आनन्द बिहार कालोनी, हार्टमैन तिराहा थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र 51 वर्ष को दिनांक 06.05.2026 को समय करीब 17.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

03-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

नामित अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैने फर्जी बीएएमएस अंकतालिकाओं, इण्टर्नशिप प्रमाण पत्र एवं डिग्री के आधार पर आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किये थे।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रघुवर दयाल गुप्ता निवासी म0न0 25, आनन्द बिहार कालोनी, हार्टमैन तिराहा थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र-51 वर्ष,

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री मधुकर सिंह, चौकी प्रभारी सुल्तानगंज, थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार तिवारी, थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 अनुराग त्रिवेदी , थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
4. रि0का0 मनोज कुमार, थाना हजरतगंज,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ